बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

26 फरवरी 2026

[कृषि विभाग - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग - नगर विकास एवं आवास विभाग - सहकारिता विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 25

ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान

*98 **श्री राजेश कुमार मंडल (82) (दरभंगा ग्रामीण):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि पैक्स एवं मेज फैड समिति का सदस्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है;

2. क्या यह बात सही है कि बिहार में मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के सदस्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान नही है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की सदस्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कराना

*99 **श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय** (102) (**कुचायकोट**):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1- क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत सिपाया कृषि फर्म के पास मत्स्य विभाग का 20 एकड़ जमीन उपलब्ध है;
2. क्या यह बात सही है कि सारण-चम्पारण में मत्स्य उत्पादन के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र या बीज उत्पादन केंद्र नहीं है तथा इसके लिए मत्स्य पालकों को फिशरीज कालेज ढोली मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है;
यदि उपर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक गोपालगंज के सिपाया कृषि फर्म के पास उक्त जमीन पर मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र सह-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बिहार के पारंपरिक खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग करना

*100 **श्री केदार नाथ सिंह** (115) (**बनियापुर**):

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:-
क्या यह बात सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएँ पारंपरिक खाद्य उत्पादों -जैसे - ठेकुआ, पापड़, आचार,बड़ि आदि के निर्माण में दक्ष है, लेकिन संगठित संरचना, ब्रोडिंग, पैकेजिंग एवं बाजार तक पहुँच के अभाव में उन्हें उनके श्रम का उचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता हैं, यदि हाँ, तो सरकार कब तक महिला केन्द्रित सहकारी समितियों की स्थापना कर उनके उत्पादों के लिए राज्य स्तरीय ब्रांड विकसित करते हुए ई कॉमर्स एवं निर्यात चैनलों से जोड़ने हेतु उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

दिशा-निर्देश जारी करना

*101 **श्री मंजीत कुमार सिंह** (100) (**बरौली**):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में मियावाकी तकनीक विकसित नहीं रहने के कारण अधिकांश शहरी निकायों में हरित आवरण (Green Cover) राष्ट्रीय मानकों से कम है; जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, सहित देश के अन्य राज्यों के शहरी निकायों द्वारा इस तकनीक को अपनाकर सीमित भूमि पर अल्प अवधि में घने शहरी वन विकसित कर पर्यावरणीय संकट को कम किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार नगर निगम, नगर

परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में उपलब्ध खाली जमीन पर मियावाकी वन विकसित करने हेतु कब तक दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*102 **श्री जिवेश कुमार** (87) (**जाले**):

नगर विकास एवं आवास विभाग क्या मंत्री ,नगर विकास एवं आवास विभाग ,यह बतलाने की कृपा करेंगे की :-1.क्या यह बात सही है कि राज्य में कई ग्राम पंचायत उत्क्रमित होकर नगर पंचायत /नगर परिषद् एवं नगर निगम में शामिल हो चुके हैं तथा समय-समय पर सरकार इस प्रक्रिया को कार्यरूप देती है ;2. क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित होने के बावजूद उक्त क्षेत्र के जल सैरात, सार्वजनिक हाट बाजार सम्बन्धी बंदोबस्ती राजस्व विभाग एवं डेयरी, पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग के अधीन होने से नगर पंचायत ,नगर परिषद् व नगर निगम बंदोबस्ती कार्य से वंचित रहते हैं जिससे व्यवस्थित रूप से शहरी विकास कार्य बाधित होता है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है ?

केश नंबर के रूप में दर्ज करना

*103 **श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह** (16) (**कल्याणपुर**):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी अंचलों में दाखिल खारिज संबंधित टेम्प नंबर में लाखो आवेदन पत्र विगत पांच वर्षों से लंबित है,यदि हाँ तो ,सरकार उस टेम्प नंबर आवेदनों को कब तक दाखिल खारिज केश नंबर में के रूप में दर्ज करने का विचार रखती है ,नहीं तो क्यों

नगर परिषद के रूप में अधिसूचित करना

*104 **श्री बैद्यनाथ प्रसाद** (23) (**रीगा**):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री , नगर विकास एवं आवास विभाग ,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सीतामाढ़ी जिला के रीगा प्रखंड मुख्यालय दो ग्राम पंचायतो में विभक्त है जिसकी कुल आबादी 35,390 है जो नगर परिषद के रूप में अधिसूचित होने की सभी अहर्ताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक रीगा प्रखंड मुख्यालय को नगर परिषद के रूप में अधिसूचित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बोनस देना

*105 **मोहम्मद मुर्शिद आलम (50) (जोकीहाट):**

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 38 जिलों में सरकार द्वारा पैक्सों के माध्यम से वित्तीय वर्ष-2025-26 के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369/-रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद किसानों से की जा रही है जबकि छत्तीसगढ में कृषक उन्नत योजना के अंतर्गत किसानों से धान उक्त वित्तीय वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देते हुए 3100/- प्रति क्विंटल की दर से खरीद किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक राज्य में धान के समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस देने का विचार करती है, नहीं तो क्यों?

निर्णायक अधिकार देना

*106 **श्री अरूण सिंह (213) (काराकाट):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-
क्या यह बात सही है कि राज्य में रैयती भूमि के स्वामित्व, टाइटल निर्धारण, स्थायीकरण अथवा परिमार्जन, बटवारा, से संबंधित निर्णायक अधिकार एस०डी०एम्० एवं डी०सी०एल०आर० के पास है जबकि व्यावहारिकता में भूमि के उक्त संबंधी विवाद को अंचलाधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित विवादों के मामलों में एस०डी०एम्० एवं डी०सी०एल०आर०, सहित अंचलाधिकारी को निर्णायक अधिकार देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना

*107 **श्री मिथिलेश तिवारी (99) (बैकुण्ठपुर):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित NFSA के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) से राज्य के प्रत्येक राशन कार्ड धारियों को प्रति यूनिट 5 Kg मुफ्त अनाज वितरण किया जाना है,जिसके बदले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के मिलीभगत से 3.5 Kg से 4 Kg अनाज सभी लाभार्थियों को वितरण किया जा रहा है,यदि हाँ ,तो सरकार कब तक इसकी जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? नही तो क्यों?

कंट्रोल ऑर्डर लागु करना

*108 **श्री ललन राम (222) (कुटुम्बा (अ० जा०)):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के 38 जिलों में लगभग 55,000 जन वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) विक्रेता कार्यरत हैं, जो न्यूनतम आय के अभाव में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे है हैं, साथ ही राज्य में अभी भी बिहार कंट्रोल ऑर्डर 2016 ही लागु है;

2. क्या यह बात सही है कि गुजरात सरकार पी0डी0एस0 विक्रेताओं को रू 30,000 प्रतिमाह मानदेय तथा दिल्ली एवं हरियाणा सरकार प्रति क्विंटल रू० 300 मार्जिन मनी देती है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को रू 30,000 प्रतिमाह मानदेय अथवा रू 300 प्रति क्विंटल मार्जिन मनी का भुगतान करते हुये राज्य में कंट्रोल ऑर्डर 2025 लागू करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

असर्वेक्षित /टोपो लैंड का मालिकाना हक देना

*109 **श्री रजनीश कुमार (143) (तेघड़ा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें किः-

1-क्या यह बात सही है कि राज्य के लाखो हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का असर्वेक्षित /टोपो लैंड के नाम पर रसीद कटना 2013-14 से ही बंद हो गया है, तथा उक्त भूमि के क्रय-विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है;

2. क्या यह बात सही है कि असर्वेक्षित भूमि के रैयतीकरण के संबंध में नीति निर्धारण हेतु विभाग स्तर पर एक समीति का गठन वर्ष 2019 में ही किया गया था, परन्तु अभी तक किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है ;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के असर्वेक्षित /टोपो लैंड के मालिकाना हक एवं अधिकार के बिन्दु पर शीघ्र कोई निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ ,तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मालिकाना हक की नीति को स्पष्ट करना

*110 **श्री रणधीर कुमार सिंह (114) (मांझी):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत बिहार में हुए सर्वे के आधार पर तैयार खतियान में रैयत कॉलम में अंकित किसी व्यक्ति का नाम, उक्त व्यक्ति के कब्जे में भूखण्ड, निर्धारित लगान की अदायगी, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भी उक्त व्यक्ति का नाम दर्ज रहने के बाबजूद यह भूखण्ड गैर मजरुआ मानी जाती है;

2. क्या यह बात सही है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भी सरकार की नीति जमीनों के मालिकाना हक पर अस्पष्ट है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूखण्डों पर रैयतों के मालिकाना हक की नीति को स्पष्ट करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

कार्रवाई करना

*111 **श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):**

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री,सहकारिता विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में पैक्सों द्वारा खरीद की जा रही धान की फसल उत्पादन करने वाले किसान का धान उत्पादन अनुरुप पैक्स नहीं ले रहा है,जिससे किसान कम दाम पर धान बेच रहे हैं एवं बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं; यदि हाँ तो सरकार बिचौलिए एवं उन्हें संरक्षण देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पी.एफ.एम.एस प्रणाली को लागू करना

*112 **श्री कुमार सर्वजीत (229) (बोधगया (अ० जा०)):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्या यह बात सही है कि वर्ष 2024 में पीएफएमएस के तहत भुगतान की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 से SNA&SPARSH (Single Nodal Account-CFMS 2.0) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, जो अत्यधिक जटिल है

और इसमें पैसा फँस जाने पर विक्रेताओं को महीनों- सालों तक भुगतान नहीं मिल पाता है; यदि हाँ तो क्या सरकार इस जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर पुनः पी.एफ.एम.एस प्रणाली को लागू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक,नहीं तो क्यों?

बंदोबस्त करना

***113 श्री संदीप सौरभ (190) (पालीगंज):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र में 23.12.2025 को प्रकाशित शीर्षक "सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जनवरी से चलेगा विशेष अभियान" के आलोक में क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वैसे भूमिहीन है जो दशकों से सरकारी भूमि पर बसे हैं,उन्हें उक्त भूमि पर बंदोबस्त नहीं किया गया और ना ही उन्हें अन्यत्र जमीन का पर्चा निर्गत किया गया;

2.क्या यह बात सही है कि बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टेनेन्सी एक्ट 1947 के अनुसार भू-स्वामियों की रैयती ज़मीन पर बसे भूमिहीनों तथा प्रवर्तित स्वरुप वाले भूमि बसावटों का बन्दोबस्तीकरण किये जाने का प्रावधान है;

यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,तो क्या सरकार वैसे भूमिहीन परिवार जो सरकारी जमीन अथवा परिवर्तित स्वरूप वाली ज़मीन पर बसे हुए हैं,को उक्त ज़मीन पर बंदोबस्त कराने का विचार रखती है,नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी निरस्तीकरण एवं अतिक्रमण हटाना

***114 डॉ. सुनील कुमार (172) (बिहारशरीफ):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिहारशरीफ में अवस्थित बाबा मणीराम अखाड़ा के सामने एवं सटे उत्तर और दक्षिण गैर मजरूआ आम भूमि पर असमाजिक तत्वों द्वारा गलत रूप से जमाबंदी कराकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है,यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए गलत जमाबंदी का निरस्तीकरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

धान खरीदारी की तिथि बढ़ाना

***115 श्री बशिष्ठ सिंह (209) (करगहर):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या यह बात सही है कि बिहार में एफ.आर.के के कमी के कारण चावल एस.एफ.सी में जमा नहीं होने से किसानों को ससमय धान का उचित मूल्य एवं पैक्सों को राशि नहीं मिलने के कारण लक्ष्य के हिसाब से धान खरीदारी नहीं हो पा रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार कब तक धान खरीदारी की तिथि बढ़ाने का विचार रखती है , नहीं तो क्यों?

आर्थिक क्षति की भरपाई करना

***116 मो० कमरुल होदा (54) (किशनगंज):**

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री,सहकारिता विभाग,दिनांक 01.2.2026 को हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक सुस्तीः एक माह में 17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना चुनौती" के आलोक में यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1. क्या यह बात सही है कि 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच किसानों से 36.85 लाख मीट्रिक टन धान पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा खरीद कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध 31 जनवरी 2026 तक मात्र 19.85 लाख मीट्रिक धान की खरीद हो सकी है;
2.क्या यह बात सही है कि किसान खुले बाजार में अपना धान बेचने पर विवश हो गये हैं जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है;
यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों को हुयी आर्थिक क्षति की भरपाई करने का विचार रखती है, हां तो कबतक नहीं तो क्यों?

जमाबंदी की व्यवस्था

***117 श्री मुरारी पासवान (154) (पीरपैंती (अ० जा०)):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में गंगा नदी की कटाव से विलिन भूमि गंगशिष्ट गंगावरार को राजस्व अभिलेखों में गंगशिष्ट दर्ज कर सरकारी खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उक्त जमीन वर्षों बाद पुनः प्रगट होकर गंगबरार होने पर मूल रैयतों को स्वामित्व वापस नहीं दिया जाता है जिससे उक्त जिलों के किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन को पुनः किसानों को वापस नहीं होने का कारण नियमावली का नहीं होना है ;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पुनःस्थापन नियमावली के साथ गंगबरार भूमि मूल रैयतों को वापस करने सहित पुनः जमाबंदी की व्यवस्था कबतक बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पद सृजन हेतु कार्रवाई करना

*118 **श्री अमरेन्द्र कुमार** (219) (**गोह**):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री,डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या यह बात सही है कि सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अधीन नवगठित अभियंत्रण कोषांग में संगठनात्मक संरचना को विकसित और सुदृढ़ करने हेतु 139 पदों के सृजन हेतु आदेश विभागीय स्तर पर पिछले 1 वर्ष से ज्यादा से लंबित है;यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विभाग को विकसित एवं सुढ़ृढ़ करने हेतु पद सृजन के प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कार्य-विभाजन करना

*119 **श्री जिवेश कुमार** (87) (**जाले**):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः—

क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित तालाब/पोखर के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं शहरी उपयोग हेतु नगर विकास विभाग द्वारा योजना बनाए जाने के बावजूद मत्स्य सहयोग समिति अथवा जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रदान नहीं किए जाने के कारण ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे शहरी विकास बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित जल-सैरात एवं सार्वजनिक हाट/बाजार को नगर निकाय को हस्तांतरित करने तथा मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग के बीच कार्य-विभाजन एवं समयबद्धता निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*120 **श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह** (16) (**कल्याणपुर**):

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से दलहन एवं तेलहन फसलों का टी० एल० किसानों के बीच वितरण किया जाता है, तथा बीज निगम निर्धारित दर पर टी० एल० बीज की आपूर्ति बीज विक्रेता से लेती है, परन्तु बीज विक्रेता मंडी से रवैहन दलहन एवं तेलहन खरीदकर अपना टैग लगाकर बीज निगम को आपूर्ति करते हैं,

2. क्या यह बात सही है कि बीज निगम द्वारा टी० एल० बीज का प्रभेद एवं उसके उत्पादक की जाँच किये बगैर भौतिक शुद्धता एवं अनुकरण जाँच प्रतिवेदन के आधार पर क्रय की जाती है, जिससे आनुवंशिक शुद्धता के अभाव में किसानों की क्षति होती है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

लेक फार्मिंग योजना लागू करना

***121 श्री मिथिलेश तिवारी (99) (बैकुण्ठपुर):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में तीन लाख बयालीस हजार छः सौ दो एकड़ भूमि पर वर्ष भर जल जमाव के कारण प्रभावित किसान कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं;
2. क्या यह बात सही है कि जल जमाव प्रभावित कृषि क्षेत्रों में लेक फार्मिंग योजना लागू नहीं रहने के कारण राज्य में सौर उर्जा से बिजली का उत्पादन, व्यवसायिक खेती और मछली पालन में बढ़ावा नही मिल पा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन अवरुद्ध है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लेक फार्मिंग नीति बनाकर इसे राज्य में लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सेवानिवृत आयु सीमा 67 वर्ष कराना

***122 श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री,डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलपने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि पशु चिकित्सकों को भी मानव चिकित्सकों के समतुल्य सभी सुविधाएं दी जाने की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी, परंतु अभी तक पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समतुल्य डी.ए.सी.पी. (डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) एवं सेवानिवृत्ति आयु सीमा 67 वर्ष की सुविधा नहीं प्रदान की गई है;

2. क्या यह बात सही है कि दंत चिकित्सक,आयुष चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समतुल्य डी.ए.सी.पी. और सेवानिवृत्ति आयु सीमा 67 वर्ष की सुविधा प्रदान कर दी गई है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक घोषणा के अनुरूप पशु चिकित्सा संवर्ग के पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समतुल्य डी.ए.सी.पी. और सेवानिवृत्ति आयु सीमा 67 वर्ष करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?